पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध सं०- 28786/2016

थाना कांड सं०-452 वर्ष-2013 थाना- परिवाद मामला, मुंगेर जिला- मुंगेर से उत्पन्न

==========

श्री अब्दुल सामी सिद्दीकी उर्फ अब्दुल सामी अब्दुल गानी सिद्दीकी, पुत्र- अब्दुल गंज सिद्दीकी ए-111, रॉयल सैंड, फाए अदलाब रोड के पीछे, थाना- शास्त्री नगर, अंधेरी, (पश्चिम) मुंबई – 40053

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. श्याम बहादुर सिंह, शारदा चित्र के स्वामी, पुत्र-स्वर्गीय शिव बरई सिंह, काला निकेतन के निवासी, छोटी केलावरी, पोस्ट.- मुंगेर, थाना-कोतवाली, जिला-मुंगेर।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री निर्भय प्रशांत, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री एम. के. गौतम, अ.लो.अ.
प्रतिवादी सं.2 के लिए	:	श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-—संपूर्ण कार्यवाही का खंडन—याचिकाकर्ता ने फिल्म पूरी करने के लिए समझौता पत्र तैयार करने के बाद विपक्षी पार्टी से ऋण लिया—जब याचिकाकर्ता ने ऋण राशि लौटाने में विफल रहा, तो विपक्षी पार्टी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दो शिकायत मामले दायर किए —सहायक पक्षों के हस्तक्षेप के साथ अपने विवादों को तीन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की—दोनों पक्षों के बीच तीन समझौता ज्ञापन किए गए—याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दो चेक भी समझौता ज्ञापन बनाने के बाद अस्वीकृत हो गए—तीसरे समझौता ज्ञापन जिसमें एक मध्यस्थ द्वारा मुआवजे का निर्धारण करना

था, पहले दो समझौता ज्ञापनों में दोनों पक्षों द्वारा पहुंचे समझौते से संबंधित था—पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ भी विवाद को हल करने में रुचि नहीं रखता था—विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि मध्यस्थ याचिकाकर्ता के पक्ष में था—तीसरे समझौता ज्ञापन की शर्तों और शर्तों के अनुपालन की कमी के कारण, यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा सभी शर्तें और शर्तें सही भावना में पूरी नहीं की गईं—विपक्षी पार्टी द्वारा दायर एक शिकायत मामले में संज्ञान और सम्मन आदेश पारित किया गया जिसमें आरोप समान था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और वह सम्मन आदेश खंडित किया गया लेकिन वह खंडन आदेश विपक्षी पार्टी संख्या 2 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जो स्वीकृत हुई—याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए कार्यों के चलते, यह नहीं माना जा सकता कि आरोपित लेन-देन की शुरुआत से याचिकाकर्ता की ओर से कोई बेईमान इरादा नहीं था, इसलिए, ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी के अपराध के करने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता—याचिकाकर्ता ने अपराध के संदर्भ में परीक्षण न्यायालय की क्षेत्राधिकार पर एक प्रश्न उठाया—यह प्रश्न परीक्षण न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1881 के प्रावधानों से संबंधित सभी परिस्थितियों की जाँच के बाद निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों से सबूतों की आवश्यकता होती है—तकनीकी आधार पर खंडन आवेदन को मंजूर नहीं किया जा सकता—याचिका खारिज की गई।

(पैराग्राफ 5)

(2014) 9 एससीसी 129; (2014) 10 एससीसी 708; (2014) 12 एससीसी 366— ***संदर्भित किया गया ।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

सीएवी निर्णय

दिनांकः 27-03-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निर्भय प्रशांत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री एम. के. गौतम और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार को सुना।

2. वर्तमान याचिका, परिवाद संख्या 452(सी)/2013 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर के न्यायालय में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निर्भय प्रशांत ने प्रस्तुत किया कि यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता/ओ.पी. संख्या 2 से 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) ऋण के रूप में विभिन्न तिथियों पर लिए थे तथा इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच दिनांक 19.10.2006 को एक समझौता भी हुआ था, जिसकी प्रतिलिपि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ओ.पी. क्रमांक 2 द्वारा अपनी शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार, याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्ति ने समझौते की शर्तों के अनुसार बीस लाख रुपये की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा ऋण राशि वापस करने के साथ-साथ मुआवजे के आंशिक भुगतान के लिए दो चेक क्रमांक 698674 दिनांक 15.02.2013 और 698675 दिनांक 05.03.2013 जारी किए गए, जो बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांद्रा (पश्चिम) शाखा, मुंबई में काटे गए थे और यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि दोनों ही चेक बाउंस हो गए थे। शिकायतकर्ता/ओ.पी. नंबर 2 ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने आरोप की प्रकृति के कारण उनके मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो ओ.पी. नंबर 2 ने दो

चेकों के अनादर का फायदा उठाते हुए दो शिकायत मामले दर्ज किए, जिनकी संख्या 452 (सी) / 2013 और 921 (सी) / 2013 थी, जो बीस लाख रुपये की एक ही ऋण राशि और एक ही कार्रवाई के कारण से संबंधित थे। इसके बाद, दोनों पक्षों के शुभचिंतकों ने दोनों पक्षों को समझौता वार्ता के लिए एक मेज पर लाया और अपने विवाद को सुलझाने में सफल रहे और इस संबंध में, प्रति शपथ पत्र के साथ दायर अनुलग्नक 'आर/1', 'आर/2' और 'आर/3' के अनुसार तीन समझौता ज्ञापन (संक्षेप में 'एमओयू') तैयार किए गए और पहले दो एमओयू की शर्तों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने शिकायत केस संख्या 921(सी)/2013 के निपटान के लिए दस लाख रुपये स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की और उसी राशि को उसने वर्तमान मामले से संबंधित शिकायत केस संख्या 452(सी)/2013 के निपटान के लिए भी स्वीकार किया और तदनुसार, दोनों शिकायत मामलों में पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में बीस लाख रुपये प्राप्त करने पर सहमत हुए और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने ओ.पी. संख्या 2 के पक्ष में दस लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट जारी किए, जिनकी कुल राशि बीस लाख रुपये थी। जिसे उक्त ओ.पी. द्वारा भुनाया गया तथा इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा ओ.पी. संख्या 2 के प्रति शपथ-पत्र के उत्तर के साथ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि एक स्वीकृत स्थिति है तथा समझौते की शर्तों के संबंध में, पहले दो समझौता ज्ञापन एक ही दिन अर्थात् 01.09.2015 को निष्पादित किए गए थे, जिनका अवलोकन किया जा सकता है तथा उसी दिन अर्थात् 01.09.2015 को तीसरा समझौता ज्ञापन भी तैयार किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच श्री राजकुमार प्यारेलाल संतोषी को मध्यस्थ नियुक्त करने का समझौता हुआ, जो कि ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दावा किए जा रहे मुआवजे के मुद्दे पर निर्णय करेगा, हालांकि आरोप के अनुसार, दावा किए गए मुआवजे पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन केवल इस कारण से, ओ.पी. संख्या 2 को उसकी ओर से पूर्ति के कारण उत्पन्न होने वाली देनदारियों से मुक्त नहीं

किया जा सकता है। पहले दो एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पहले दो एमओयू के अनुसार पूर्ण और अंतिम निपटान राशि प्राप्त करने के बाद, दोनों पक्षों के खिलाफ या उनके बीच कोई नागरिक दावा या देनदारियां या कोई आपराधिक दावा नहीं होगा, इसलिए, ऐसी स्थिति में, ओ.पी. नंबर 2 उक्त नियमों और शर्तों से बंधा हुआ था और उसे शिकायत मामला संख्या 452 (सी)/2013 और 921(सी)/2013 वापस लेना पड़ा क्योंकि सभी कथित अपराध समझौता योग्य हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत कथित अपराध, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी, आरोप की प्रकृति के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* आकर्षित नहीं करते हैं और सीजेएम, मुंगेर की अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में 'एनआई अधिनियम') की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करना भी कानून की नजर में गलत है क्योंकि कथित दोनों चेक बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांद्रा (पश्चिम) शाखा, मुंबई में आहरित किए गए थे, जहां उन्हें अनादरित किया गया था, इसलिए सीजेएम कोर्ट, मुंगेर के पास उक्त अपराध के लिए ओ.पी. संख्या 2 की शिकायत पर विचार करने का अधिकार नहीं है और इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है: -

(i) **दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2014) 9 एससीसी 129** में रिपोर्ट किया गया और संबंधित पैराग्राफ संख्या '58', जिस पर भरोसा किया गया है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

> ***"58.** संक्षेप में:*
>
> ***58.1.** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अपराध तब होता है जब अभियुक्त द्वारा ऋण/देयता के निर्वहन के लिए बैंक में उसके द्वारा बनाए गए खाते पर आहरित चेक को धन की कमी*

के कारण या इस कारण से अवैतनिक वापस कर दिया जाता है कि राशि बैंक के साथ की गई व्यवस्था से अधिक है।

58.2. *हालांकि, अधिनियम की धारा 142 के तहत ऐसे किसी भी अपराध का संज्ञान निषिद्ध है, सिवाय इसके कि चेक के आदाता या धारक द्वारा कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप में शिकायत की गई हो। धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत आदाता या धारक।*

58.3.*शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण शिकायतकर्ता/आदाता/चेक के धारक को उचित समय पर प्राप्त होता है यदि*

(ए) अनादरित चेक जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आहर्ता बैंक को प्रस्तुत किया जाता है,

(बी) यदि शिकायतकर्ता ने चेक के अनादर के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करने की मांग की है, और

(सी) यदि आहर्ता ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहा है।

58.4. *कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्य अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के तत्व नहीं हैं।*

58.5. *धारा 138 का प्रावधान केवल आपराधिक कार्यवाही की स्थापना और न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने को स्थगित/स्थगित करता है जब तक कि प्रावधान के खंड (सी) के अनुसार कार्रवाई का कारण शिकायतकर्ता को प्राप्त नहीं हो जाता।*

58.6. *एक बार जब कार्रवाई का कारण शिकायतकर्ता को प्राप्त हो जाता है, तो मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस स्थान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जहां चेक का अनादर किया गया है।*

58.7. *धारा 177 सीआरपीसी के तहत निर्धारित सामान्य नियम परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों पर लागू होता है। ऐसे मामलों में अभियोजन केवल उस न्यायालय के समक्ष चेक जारीकर्ता के विरुद्ध चलाया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में चेक अनादर हुआ है, सिवाय उन स्थितियों के जहां धारा 138 के तहत दंडनीय चेक अनादर का अपराध अन्य अपराधों के साथ एक ही लेनदेन में किया गया हो, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220(1) के साथ धारा 184 के अर्थ में हो या*

धारा 182(1) के प्रावधानों के अंतर्गत आता हो, जो धारा 184 और 220 के साथ हो।

(ii) **विनय कुमार शैलेन्द्र बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं अन्य ने (2014) 10 एससीसी 708** में रिपोर्ट दी है और संबंधित पैराग्राफ संख्या '9', जिस पर भरोसा किया गया है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

*"**9.** दशरथ मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में [दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 9 एससीसी 129: (2014) 3 एससीसी (क्रि) 673: (2014) 4 एससीसी (सिविल) 676: (2014) 9 स्केल 97] हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दिल्ली से नोटिस जारी करना या आदाता द्वारा दिल्ली के बैंक में चेक जमा करना या दिल्ली में भुगतान की मांग करते हुए आरोपी द्वारा नोटिस प्राप्त करना दिल्ली की अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आहर्ता बैंक चेक का अनादर करने वाला मामला संज्ञान लेने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस दृष्टि से, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसमें मजिस्ट्रेट को केवल शिकायतों की जांच करने और उन्हें वापस करने की आवश्यकता होती है, यदि उनके पास हरमन मामले में बताई गई कानूनी स्थिति के मद्देनजर उन्हें सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है [हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड बनाम नेशनल पैनासोनिक इंडिया (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 720: (2009) 1 एससीसी (सिविल) 332: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 610]। हमें बस इतना ही जोड़ने की जरूरत है कि अधिकार क्षेत्र के सवाल की जांच करते समय संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिन्हें उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं, उन्हें दशरथ मामले में इस न्यायालय के फैसले को भी ध्यान में रखना चाहिए।"*

(iii) **शिवगिरी एसोसिएट्स एवं अन्य बनाम मेट्सो मिनरल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2014) 12 एससीसी 366** में रिपोर्ट की गई है और संबंधित पैराग्राफ संख्या '5', जिस पर भरोसा किया गया है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

*"**5.** इन परिस्थितियों में हम अपील स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुड़गांव की अदालतों के पास एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत वर्तमान कार्यवाही को केवल इसलिए स्वीकार करने का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी के निर्देश पर, मांग का कानूनी नोटिस उस शहर से आया है। शिकायत को प्रतिवादी शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाए*

ताकि वह बैंगलोर, कर्नाटक में उचित न्यायालय में फिर से दाखिल हो सके। जैसा कि दशरथ रूपसिंह [दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 9 एससीसी 129] में उल्लेख किया गया है, यदि शिकायत 30 दिनों के भीतर बैंगलोर में उचित न्यायालय में फिर से दाखिल की जाती है, तो इसे दायर किया गया माना जाएगा। सीमा के भीतर। अंतरिम आदेश [शिवगिरी एसोसिएट्स बनाम मेट्सो मिनरल्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2014) 12 एससीसी 366 (एफ5)] तदनुसार वापस लिए जाते हैं। पार्टियों को अपनी-अपनी लागतें वहन करनी होंगी।"

4. दूसरी ओर, ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राजेश कुमार ने तर्क दिया है कि बेशक ओ.पी. संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को अलग-अलग तारीखों पर बीस लाख रुपये की राशि दी थी, जो *सनराइज पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड* के निदेशक थे। लिमिटेड को उस समय ऋण दिया गया था और उक्त राशि याचिकाकर्ता को यह विश्वास होने पर दी गई थी कि निर्धारित अवधि के भीतर कमीशन और मुआवजे के साथ इसे ओ.पी. नंबर 2 को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता और उनकी कंपनी कमीशन और मुआवजे के साथ ऋण राशि चुकाने में विफल रही और अंततः देनदारियों का निर्वहन करने के लिए याचिकाकर्ता ने ओ.पी. नंबर 2 के पक्ष में मुआवजे और कमीशन राशि के साथ बीस लाख रुपये की ऋण राशि के भुगतान के लिए दो चेक जारी किए और दोनों चेक भुनाने के लिए प्रस्तुत किए गए, लेकिन माना जाता है कि संबंधित बैंक द्वारा 'फंड अपर्याप्त' के साथ उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया, जो एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है और इस संबंध में मुंगेर जिले में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ क्योंकि ओ.पी. नंबर 2 द्वारा मुंगेर में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में चेक प्रस्तुत किए गए थे, और उसी दिन जब चेक वापस किए गए थे उक्त बैंक के मामले में, कार्यवाही का कारण ओ.पी. संख्या 2 के पक्ष में उत्पन्न हुआ, जिस स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक की उक्त शाखा स्थित है, तथापि, क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे को

निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जहां तक समझौता ज्ञापनों के निष्पादन का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त सभी समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच तैयार और निष्पादित किए गए थे और पहले दो समझौता ज्ञापनों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दस-दस लाख रुपये के दो हिस्सों में कुल बीस लाख रुपये ओ.पी. संख्या 2 को दिए गए थे, लेकिन उक्त समझौता ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी द्वारा ओ.पी. संख्या 2 को देय मुआवजा राशि तीसरे समझौता ज्ञापन द्वारा दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा तय की जानी थी, लेकिन तीसरे समझौता ज्ञापन के निष्पादन के बाद, नियुक्त मध्यस्थ द्वारा मुआवजा राशि तय करने का कोई प्रयास नहीं किया गया क्योंकि वह याचिकाकर्ता में रुचि रखता था और ओ.पी. संख्या 2 की देनदारियों को वर्तमान मामले के शिकायत मामले सहित सभी मुकदमों को समाप्त करने के लिए सभी समझौता ज्ञापनों की सभी शर्तों की पूर्ति के बाद ही उत्पन्न होगा जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी पर निष्पादित किए गए हैं। इस संबंध में, मुआवजे का फैसला करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित तीसरे एमओयू की शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसे पहले दो एमओयू के साथ पढ़ा जाना चाहिए और तीसरे एमओयू में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पहला पक्ष, याचिकाकर्ता, मुआवजे की राशि तय करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मध्यस्थ द्वारा तय की गई मुआवजे की राशि का भुगतान दूसरे पक्ष, ओपी नंबर 2 को करेगा, लेकिन इस संबंध में, याचिकाकर्ता और मध्यस्थ द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जो याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी में पूरी तरह से रुचि रखते थे, और समझौता विलेख की सामग्री से, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी को अलग-अलग तारीखों पर बीस लाख रुपये सौंपे गए थे, कमीशन प्राप्त करने के उद्देश्य से, लेकिन न तो मूल राशि याचिकाकर्ता द्वारा वापस की गई और न ही कोई मुआवजा या कमीशन का भुगतान किया गया और फिर अंत

में ओपी नंबर 2 के बार-बार अनुरोध पर, याचिकाकर्ता द्वारा दो चेक जारी किए गए लेकिन जिनका अनादर किया गया, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता का ओ.पी. संख्या 2 से बीस लाख रुपए लेने के लेन-देन की शुरुआत से ही बेईमानी का इरादा था और इसके अलावा, उसने मुआवजे से संबंधित तीसरे एमओयू की शर्तों का पालन करवाने का प्रयास नहीं किया, जिससे उसकी ओर से बेईमानी का इरादा भी पता चलता है और यह उसकी ओर से धोखाधड़ी के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। विद्वान वकील द्वारा अंत में प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत मामले संख्या 921(सी)/2013 में पारित संज्ञान और समन आदेश, जिसमें इसी तरह के आरोप लगे थे, को याचिकाकर्ता ने सबसे पहले इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध संख्या 25620/2014 के माध्यम से चुनौती दी थी, हालांकि उक्त शिकायत मामले को रद्द करने के साथ ही इसे अनुमति दी गई थी, लेकिन ओ.पी. संख्या 2 ने उस आदेश को आपराधिक के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। एपीपी संख्या 1308/2018 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति दी गई।

5. दोनों पक्षों को सुना और याचिकाकर्ता के खिलाफ ओ.पी. नंबर 2 द्वारा दायर शिकायत याचिका, 19.10.2006 की तारीख वाले समझौते की प्रति और 01.09.2015 के तीन समझौता ज्ञापनों की प्रतियों का अवलोकन किया, जो दोनों पक्षों के बीच निष्पादित किए गए थे। समझौता विलेख से पता चलता है कि दूसरा पक्ष, जो यहां याचिकाकर्ता है, को एक तस्वीर को पूरा करने और जारी करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष, जो यहां ओ.पी. संख्या 2 है, से वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पच्चीस लाख रुपये तक की राशि उधार देने का अनुरोध किया तथा याचिकाकर्ता उक्त राशि पर 12 प्रतिशत की दर से छूट कमीशन देने के लिए सहमत हो गया तथा यह सहमति हुई कि दूसरा पक्ष/याचिकाकर्ता कमीशन

सहित राशि 14.04.2007 को या उससे पहले या पूर्वी पंजाब के लिए रिलीज प्रिंट की डिलीवरी से सात दिन पहले, जो भी पहले हो, वापस कर देगा तथा भुगतान में देरी की स्थिति में प्रथम पक्ष/ओ.पी. संख्या 2 12 प्रतिशत की दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा तथा वे अपने लेन-देन से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी सहमत हुए, जिसका पूरा विवरण उनके समझौते में दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.02.2013 और 05.03.2013 को ओ.पी. संख्या 2 के पक्ष में दो चेक जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा ओ.पी. संख्या 2 को मुआवजे या कमीशन के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था तथा उक्त दोनों चेक संबंधित बैंक द्वारा अनादरित कर दिए गए थे। बाद में दोनों पक्षों के शुभचिंतकों द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप एक ही दिन दोनों पक्षों के बीच तीन एमओयू निष्पादित किए गए जिन पर उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ थे, जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। यदि हम इन एमओयू की विषय-वस्तु को एक साथ पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ द्वारा मुआवजे का निर्णय करने से संबंधित तीसरा एमओयू पहले दो एमओयू में दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते से जुड़ा हुआ था। यद्यपि ओ.पी. संख्या 2 ने दो चेकों के अनादर के संबंध में दो शिकायत मामले दर्ज किए हैं, जो याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कंपनी के निदेशक के रूप में तथा व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग तिथियों पर जारी किए गए थे तथा वर्तमान मामला शिकायत मामले संख्या 452(सी)/2013 से संबंधित है तथा ओ.पी. संख्या 2 द्वारा धोखाधड़ी के एक ही अपराध के लिए शिकायत के रूप में दो मामले दर्ज करने की वैधता को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान मामले सहित दोनों शिकायत मामलों के संबंध में याचिकाकर्ता ने अपने दायित्वों को स्वीकार किया है, जो प्रथम तथा द्वितीय एम.ओ.यू. से प्रकट होते हैं तथा उक्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिए याचिकाकर्ता ने प्रत्येक चेक के लिए दस लाख रुपए नकद देने पर सहमति व्यक्त की है तथा ओ.पी.

संख्या 2 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी करके भी इसका भुगतान किया गया है, जिसे ओ.पी. संख्या 2 द्वारा भुनाया गया है, जिसके संबंध में कोई विवरण नहीं है। विवाद और समझौता ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार, ओ.पी. संख्या 2 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर की अदालत में उपस्थित होना पड़ा ताकि दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते के आलोक में शिकायत मामले संख्या 452(सी)/2013 और 921(सी)/2013 को वापस लिया जा सके और अब सवाल यह है कि क्या ओ.पी. संख्या 2 उक्त शर्त से बंधी हुई थी। तीसरे समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, मुआवजे की राशि तय करने से संबंधित, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा ओ.पी. सं. 2 को मुआवजे और छूट कमीशन के संबंध में भुगतान किया जाना था, जो समझौते की शर्तों के मद्देनजर याचिकाकर्ता की ओर से देय हो गया था और इसे अस्वीकार नहीं किया गया है और मुआवजे का भुगतान मध्यस्थ के निर्णय की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना था, लेकिन निश्चित रूप से, मध्यस्थ द्वारा उक्त मुआवजे को तय करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं दिखाया है, जबकि दूसरी ओर, ओ.पी. सं. 2 ने यह दलील दी है कि नियुक्त मध्यस्थ याचिकाकर्ता में रुचि रखता था, इसलिए तीसरे समझौता ज्ञापन की शर्तों और नियमों का पालन न करने के कारण, यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा सभी शर्तों और नियमों को सही भावना से पूरा नहीं किया गया था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शिकायत प्रकरण संख्या 921(सी)/2013 में पारित संज्ञान एवं समन आदेश, जिसमें आरोप वर्तमान प्रकरण के समान ही है, को इस न्यायालय में आपराधिक विविध संख्या 25620/2014 के माध्यम से चुनौती दी गई थी तथा समन आदेश को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन निरस्तीकरण आदेश को ओ.पी. संख्या 2 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ओ.पी. संख्या 2 ने वर्ष 2006 में

याचिकाकर्ता को बीस लाख रुपए उधार दिए थे तथा समझौते की शर्तों के अनुसार ऋण राशि के पुनर्भुगतान में देरी के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजा दिया जाना था तथा याचिकाकर्ता की ओर से कोई दलील नहीं दी गई कि उसके द्वारा उक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने का कोई प्रयास किया गया था कि वर्ष 2006 से 2013 के बीच उन्होंने उक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने का कोई प्रयास किया। जब प्रतिवादी संख्या 2 ने बार-बार याचिकाकर्ता से ऋण राशि एवं मुआवजा भुगतान करने का अनुरोध किया, तब अंततः याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग तिथियों पर दो चेक जारी किए, जो कि स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हो गए। वर्ष 2016 में, परिवाद संख्या 452(सी)/2013 में लगाए गए आरोपों के आलोक में अपने विरुद्ध उत्पन्न देनदारियों को निपटाने हेतु, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को दस लाख रुपये देने पर सहमति व्यक्त की, जिसे उन्होंने भुगतान किया भी, परंतु जो मुआवजा राशि मध्यस्थ द्वारा तय की जानी थी, उसका भुगतान करने में वह असफल रहे और इस संदर्भ में भी याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के उपर्युक्त आचरणों के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं माना जा सकता कि कथित लेन-देन की शुरुआत से ही याचिकाकर्ता की ओर से कोई बेईमानी की मंशा नहीं थी। अतः, ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी के अपराध के *प्रथम दृष्टया* घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की बात है, संबंधित चेकों का अस्वीकृत होना एक स्वीकृत तथ्य है। याचिकाकर्ता ने इस अपराध के संदर्भ में विचारण न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता पर प्रश्न उठाया है, जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि वाद का कारण उत्पत्ति मुंगेर जिले में हुई क्योंकि चेक आईसीआईसीआई बैंक, मुंगेर शाखा में प्रस्तुत किया गया था और जहाँ से वह चेक याचिकाकर्ता के बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अस्वीकृत होकर वापस कर दिया गया था। मेरी राय में, उक्त प्रश्न को एन आई अधिनियम की प्रावधानों

से संबंधित सभी परिस्थितियों की परीक्षा के बाद विचारण न्यायालय द्वारा तय करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए दोनों पक्षों से सबूतों की आवश्यकता है। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि समझौते के दस्तावेज़ में वर्णित शर्त के अनुसार, दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी कि समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद का निपटारा मुंगेर, बिहार/मुंबई की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। इसलिए, केवल तकनीकी आधार पर अर्थात् एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से संबंधित क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर परिवाद संख्या 452(सी)/2013 से संबंधित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं होगा, विशेषकर तब जब उससे जुड़ा धोखाधड़ी का अपराध भी है, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकार का मुद्दा नहीं उठाया गया है। तदनुसार, यह न्यायालय इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अनु /-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।